(e) what steps have been taken to avoid further delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) As on 20.7.1992, 90 applications seeking grant of letters of intent for establishment of new sugar factories had been received through the Department of Industrial Development from the State of Andhra Pradesh. Majority of them have been received during the calender years 1990 and 1991.

(c) and (e) In view of the large pendency of unimplemented letters of intent/licences already issued, proposals for setting up of new sugar factories have not yet been taken up for consideration.

(d) Most of the records/applications have been damaged/burnt in the fire that broke out in Krishi Bhavan on 16.10.1992. As such, the information received from the State Governments is not readily available.

Fall in Foodgrain Production

2868. MISS. SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has recently cautioned the nation against a possible fall in foodgrains production due to diversion of land to relatively more lucrative crops; and

(b) if so, what are the details thereof and what action is proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) While addressing the Indian Agricultural Science Congress on 12th November, 1992 the Prime Minister has emphasised the need to increase food production to meet the demand for increasing population. The long-term strategy for increasing food production include upgradation and extension of new technologies to the farmers/areas where technology has not diffused so far; continuing the crop production oriented thrust programmes; diversification of crop production, tapping of the available irrigation potential; and appropriate market and price support.

खाद्यान्नों की विहित भंडारण पद्धति

2869. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के लिए विहित भंडारण मानकों का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में 30 सितम्बर, 1992 तक की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम अपने गोदामों तथा इन निगमों द्वारा किराये पर लिए गए गोदामों, जोकि वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते हैं, में खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का भंडारण करते हैं। इसके अलावा, वे विहित मानदण्डों के अनुसार भंडारण के दौरान वस्तुओं के परिरक्षण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संभव पग उठाते हैं। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और 2 में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ग) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान 30 सितम्बर, 1992 तक खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के 202 खाद्य भंडारण डिपुओं (विवरण-3) का निरीक्षण किया था। संबंधित प्राधिकारियों की कमियों/दोषों के बारे में सूचित कर दिया गया था ताकि वे उन्हें दूर करने के लिए उपचारी उपाय कर सकें।

विवरण-1

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

(1) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है और चूहों और जन्तुबाधा पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(2) मानसून से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी के रिसाव को